तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6686/2006/हनुमानगढ़** **भजनलाल बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी ,सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अपीलांट।
श्री ओमप्रकाश मोदी, अभिभाषक रेस्पो0 सं 1

निर्णय दिनांक –28.01.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के दिनांक 18–9–2006 अपील सं0 168/2006 बउनवान हरिराम बनाम भजनलाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्ते की शर्त 8 (2) के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की चक 1, एम0के0 प0नं0 130/371 में किला नं0 20, 21, 22 एवं प0नं0 129/371 किता नं0 5, 6, 15, 16 में कुल किता 7 यानि 1–771 है0 आराजी राजस्व रेकार्ड खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट के खेत के चिपते ही चक नं0 1 एम.के. प0नं0 129/372 किता नं0 1, 10, 11, 17 ता0 25 कुल 12 किता यानि 2–300 है0 रेस्पो0 नं0 1 की खातेदारी है। अप्रार्थी के किला नं0 20, 22, 23 व 24 में से मुख्य पक्की सड़क निकली है। अपीलांट अपने खेत में हमेशा से रेस्पो0 के किला नं0 24 में आ जाकर अपना खेती का कार्य करता है व किला नं0 24 के अलावा अपीलांट को अपने खेत में और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट काफी वर्षो से किला नं0 24 में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6686/2006/हनुमानगढ़** **भजनलाल बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही आवागमन कर रहा है। किला नं0 24 व अन्य भूमि रेस्पो0 सं0 1 को सन् 1975 में स्माल पैच में आवंटित हुई जिस पर उपनिवेशन शर्ते लागू होती है। अतः अपीलांट को किला नं0 24 में से एक गट्ठा रास्ता मंजूर किया जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर रेस्पो0 नं0 1 को नोटिस जारी किया, उसने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है वो उसकी पुरानी मेठसी भूमि है जिस पर उपनिवेशन की शर्ते लागू नहीं होती व अपीलांट को अन्य रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का व तहसील से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाते हुए दिनांक 16-11-2005 को किला नं0 24 में से एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत कर दिया जिस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो मण्डल के आदेश से राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर को मुन्तकिल कर दी गई उसके उपरान्त दिनांक 18-9-2006 को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जिस निर्णय दिनांक 18-9-2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। 4- अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रेकार्ड के विरूद्ध पटवारी हल्का व तहसील की रिपोर्ट के विरूद्ध मनमाना व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने तहसील की रिपोर्ट व रेकार्ड के अनुसार किला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6686/2006/हनुमानगढ़** **भजनलाल बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नं0 24 में से रास्ता इस आधार पर मंजूर किया कि अपीलांट को अन्य कोई रास्ता खेत में जाने हेतु उपलब्ध नहीं है, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के उसे निरस्त कर कानूनी त्रुटि कारित की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी रेकार्ड व रिपोर्ट के यह मानकर कि अपीलांट को अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है, कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट तहसील व पटवारी हल्का व नक्शा मौका व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर रास्ता स्वीकृत किया उसे बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर निरस्त कर समस्त रेकार्ड व सबूत पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद प्रतिप्रेषित कर कानूनी भूल की है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18-9-2006 को अपास्त किया जावें। 5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 की ओर से तर्क दिया गया कि प्रश्नगत आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, वह रेस्पो0 की 1955 से पूर्व की खातेदारी है जिस कारण इस भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए व प्रकरण के तथ्यों की रोशनी में जो प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत एवं न्याय संगत होने से अपील अपीलांट काबिज खारिज योग्य है। उन्होंने अपने समर्थन में 1987 आर0आर0डी0 पेज 279, 2019 आर0आर0टी0 पेज 403, 2017 आर0आर0टी0 पेज 789, 2016 आर0आर0टी0 पेज 1281, 2014 आर0आर0टी0 पेज 40, 2016 आर0आर0टी0 पेज 649, 2017 आर0आर0टी0 पेज 423 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 6686 / 2006 / हनुमानगढ़** **भजनलाल बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। 7– प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी भजनलाल पुत्र मनसुखराम जाति जाट सा0 जोरावरपुरा की खातेदारी भूमि चक 1 एम. प0 नं0 130/371 मु0नं0 14 कि0नं0 20 से 22/0–759, प0नं0 129/372 मु0नं0 16 किला नं0 5–6–15–16/1–012 कुल 1–771 है0 कमाण्ड मय खाला मुताबिक जमाबन्दी अंकित है। अप्रार्थी हरिराम वल्द खिराज कौम जाट सा0 जोरावरपुरा की खातेदारी भूमि चक 1 एम0 प0नं0 129/372 मु0नं0 16 किला नं0 1/0–202, 10/0–202, 11/0–177, 17–18/0–506, 19/0–139, 20/0–101, 21/0–202, 22/0–215, 23/0–101, 24/0–202, 25/0–253 कुल 2–300 है0 कमाण्ड मय खाला मुताबिक जमाबन्दी अंकित है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 9–9–2005 के अनुसार प्रार्थी भजनलाल के इस रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है, जो विधिसम्मत है। 8– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18–9–2006 में अंकित किया है कि चूंकि रास्ता आवश्यकतानुसार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है न कि किसी की सुविधा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जा सकें जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की सुविधा को ध्यान में रखकर रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रतीत होना मानकर उक्त प्रकरण को पुनः निर्णय देने हेतु रिमाण्ड करना उचित माना है। अपीलीय न्यायालय की उक्त फाईंडिंग उचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6686/2006/हनुमानगढ़** **भजनलाल बनाम हरिराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं है। नजरी नक्शा चक 1 एम0 हनुमानगढ़ के अवलोकन से विदित होता है कि पं0 नं0130/371 व 130/372 में 130/373 की तरफ पूर्व से ही रास्ता मंजूर शुदा है। यदि प्रार्थी भजनलाल द्वारा इस रास्ते का प्रयोग करते हुए अपने खेत पर जाने हेतु रास्ता मांगा जाता है तो श्रीमती सावित्री की आराजी से होते हुए कम से कम 3 गुना अधिक दूरी का रास्ता तय करना होगा, जो रास्ता प्रस्तावित है उससे उक्त पूर्व में मंजूर शुदा की लम्बाई 3 गुना ज्यादा है। अतः यह रास्ता सुविधाजनक नहीं है।

9- पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 9-9-2005 तथा उसके संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वीकृत रास्ता ही सबसे अधिक उपर्युक्त रास्ता है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से स्वीकृत किया गया है जो कि सैक्शन 251 ए0 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसलिए मेरी विनम्र राय में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपील काबिल स्वीकार योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत् प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

10- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 18-9-2006 खारिज किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 16-11-2005 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य